

बथूसिंह और अन्य बनाम मध्यप्रदेश राज्य

25 अगस्त 2004

(के.जी.बालकृष्णन और डॉ. ए.आर. लक्ष्मणन जे.जे)

दंड संहिता, 1860-धारा 302/148, 96 और 99:

हत्या के लिए अभियोजन-3 चक्षुदर्शी साक्षी द्वारा समर्थित अभियोजन मामला- चिकित्सीय साक्ष्य द्वारा सम्पुष्ट- अभियुक्त द्वारा आत्मरक्षा का अभिवाक्-निचले न्यायालयों द्वारा दोषसिद्धि- अपील पर, अभिनिर्धारित। चिकित्सीय साक्ष्य द्वारा सम्पुष्ट चक्षुदर्शी साक्ष्य से साबित किये गये अपराध पर अभियुक्त दोषी ठहराये जाने के लिए उत्तरदायी है। बचाव का पक्ष साबित नहीं। अन्यथा भी अभियुक्त निजी बचाव के अधिकार का हकदार नहीं है क्योंकि हमला अत्यधिक दुर्भावनापूर्ण रूप से व अत्यंत प्रतिशोधी था।

निजी बचाव का अधिकार- अभिनिर्धारित की प्रकृति- यह प्रतिशोध या दण्ड का अधिकार नहीं है- यह धारा 99 में बताये गये प्रतिबंधों के अधीन है।

अपीलकर्ता-अभियुक्त, अन्य अभियुक्तों के साथ कथित दो व्यक्तियों की मृत्यु कारित की। घटना में दो व्यक्तियों को आहत किया। घटना में तीन चक्षुदर्शी गवाह यानि पीडब्ल्यू 1, 2 और 3 थे। चिकित्सीय साक्ष्य ने

चक्षुदर्शी गवाहों के पक्ष की सम्पुष्टि की जहां तक अपीलार्थीगण की भागीदारी का संबंध था। विचारण के दौरान अभियुक्त ने आत्मरक्षा का अभिवाक् लिया। उनका कहना था कि पीड़ित पक्ष ने उनकी फसलों में आग लगा दी थी और उन पर हमला किया था, और उन्होंने प्रतिकार के रूप में पीड़ित पक्ष पर हमला किया। उन्होंने अपने मामले के समर्थन में पांच गवाहों को परीक्षित किया। विचारण न्यायालय ने अभियुक्त संख्या 1 और अपीलार्थीगण को अन्तर्गत धारा 302/148 में दोषसिद्ध किया और अन्य अभियुक्तों को धारा 302 सपठित धारा 149 व 148 आई.पी.सी के तहत दोषी ठहराया गया। उच्च न्यायालय ने अपीलार्थीगण की दोषसिद्धि की पुष्टि की और अन्य अभियुक्तों को बरी किया।

इस न्यायालय की अपील में, अपीलार्थीगण ने तर्क दिया कि वे दोषमुक्त होने के हकदार हैं क्योंकि उन्होंने आत्मरक्षा में इस कार्य का सहारा लिया था और अभियोजन पक्ष अपने मामले को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में विफल रहा।

न्यायालय ने अपील को खारिज कर अभिनिर्धारित किया-

1. जहां तक अपीलार्थीगण का संबंध है, वहां पर चिकित्सीय साक्ष्य के द्वारा विधिवत सम्पुष्ट अपरिहार्य चक्षुदर्शी साक्ष्य अभिलेख पर है और पीडब्ल्यू-1 का कथन उनके अपराध को साबित करता है। (790-ई)

2.1. आत्मरक्षा में कार्य करने के मत को स्थापित करने के लिए

अभिलेख पर कोई साक्ष्य नहीं है, जो कि एक बचाव है जिसे बहुत विलम्ब के प्रक्रम पर उठाया गया था। बचाव पक्ष के गवाहों के कथन भी अपीलार्थीगण के लिए उपयोगी नहीं है। अपीलार्थी ने अपनी निजी प्रतिरक्षा के अभिवाक् को अधिसम्भाव्य की प्रबलता के द्वारा स्थापित नहीं किया है। अपीलार्थीगण ने अभियोजन साक्षी की प्रतिपरीक्षा में कोई नींव नहीं रखी है। इसके साथ-साथ धारा 313 सी.आर.पी.सी. के अन्तर्गत उनके कथनों में और सकारात्मक परिस्थितियों की ओर इशारा करते हुए कानूनी रूप से साबित अभियोजन साक्ष्य से, जो कि अधिसम्भाव्यता के प्रबलता के द्वारा व्यक्ति व सम्पत्ति की आत्मरक्षा के उनके मामले को स्थापित कर सकते थे।

2.2. अनिवार्य रूप से एक बचाव या आत्मसंरक्षण का दंड संहिता द्वारा निजी बचाव का अधिकार दिया गया है- और यह प्रतिशोध या दण्ड का अधिकार नहीं है। यह धारा 99 आई.पी.सी. में बताए गए प्रतिबंधों के अधीन है, जो अपने आप में अधिकार के रूप में महत्वपूर्ण है। दोनों मृतक पर हमला अत्यधिक दुर्भावनापूर्ण रूप से व अत्यन्त प्रतिशोधी था। इन परिस्थितियों में अपीलार्थी निजी बचाव के अधिकार के हकदार नहीं थे और अपीलार्थीगण द्वारा बिना उनके जीवन अथवा संपत्ति के आसन्न खतरे के दो व्यक्तियों की मृत्यु कारित की।

आपराधिक अपील क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 1295-

1296/2003

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के सी.आर.एल.ए 697/1995 और सी.आर.एल.ए संख्या 831/1995 में निर्णय व आदेश दिनांकित 19.04.2002 से।

अपीलार्थीगण की ओर से विद्या धर गौर।

प्रत्यर्थी की ओर से सुश्री विभा दत्ता मखीजा।

न्यायालय का निर्णय निम्न द्वारा दिया गया-

डॉ. ए.आर. लक्ष्मणन, जे:

ये अपीलें मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, इंदौर की पीठ द्वारा आपराधिक अपील संख्या 697/1995 व 831/1995 में पारित निर्णय व आदेश दिनांकित 19.04.2002 के खिलाफ निर्देशित की गई है। जहां उच्च न्यायालय ने आपराधिक अपील संख्या 697/1995 को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए अपीलार्थी संख्या 1, बालू सिंह, अपीलार्थी संख्या 5, रिच्छु, अपीलार्थी संख्या 6, भांगदीबाई और अपीलार्थी संख्या 7, नानबाई को आरोपित अपराध से बरी कर दिया है और अपीलार्थी संख्या 2, बाथूसिंह, अपीलार्थी नं. 3, नर सिंह और अपीलार्थी नं. 4, भाल सिंह की अपील को खारिज कर दिया गया।

अभियोजन पक्ष का प्रकरण संक्षेप में निम्न प्रकार से है-

अपीलार्थीगण और मृतक व्यक्तियों के साथ-साथ पीडब्ल्यू-1, सरदार सिंह, पीडब्ल्यू-2, जगत सिंह और पीडब्ल्यू-3, हुमाबाई एक-दूसरे के

सम्बन्धी है। उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन मृतक धन सिंह उर्फ धनिया अपने खेत में एक कुआ खोद रहे थे और अपने खेत के तटबंध पर पत्थर इकट्ठा कर रहे थे जिस पर अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा आपत्ति की गई। तत्समय सारे अपीलार्थीगण तीर और धनुष, डंगा (लाठी) और पत्थर को लेकर उस स्थान पर पहुंचे और मृतक धनिया पर हमला करना शुरू कर दिया। मृतक भुरू भी वहां पहुंच गया और अपीलार्थीगण द्वारा उस पर भी हमला किया गया। पीडब्ल्यू-1 सरदार सिंह की बहन झिल्लीबाई पर भी उस समय हमला किया गया जब वह उन्हें पानी पिलाने जा रही थी। इस घटना को पीडब्ल्यू-1 सरदार सिंह, पीडब्ल्यू-2 जगत सिंह, पीडब्ल्यू-3 हुमाबाई और अन्य साक्षीगण भगत सिंह, बुद्धिबाई जलम सिंह, प्रताप सिंह और भीम सिंह ने देखा। पीडब्ल्यू-1 सरदार सिंह ने इस घटना की सूचना गांव चौकीदार को दी और उसके बाद दोपहर 2 बजे पुलिस स्टेशन में एक्स.पी.-1 रिपोर्ट दर्ज कराई। दोनो व्यक्ति धनिया और भुरे की मौके पर ही मृत्यु हो गई। उनके शवों को शव परीक्षण करने के लिए भेज दिया गया और घायल व्यक्तियों हीराबाई और झिल्लीबाई को चिकित्सा परीक्षण के लिए भेज दिया गया। पीडब्ल्यू-4 डॉ फतेह सिंह ने उनका परीक्षण किया। मृतक धनिया के पेट में नुकीले धारदार हथियार के कारण चाकू के दो घाव हुए और कठोर और कुंद वस्तु के कारण बाई हड्डी में अस्थायी अस्थिभंग हो गया। उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट एक्स.पी.2 है।

डॉ फतेह सिंह, पी.डब्ल्यू-4 ने मृतक भुरे के शव का शव परीक्षण

करने पर पाया कि बाईं छाती पर एक तेज नुकीली वस्तु का एक चाकू का घाव हुआ था और हड्डी में एक अस्थायी अस्थिभंग था। उनकी शव परीक्षण रिपोर्ट एक्स.पी.3 है।

3. पुलिस ने अनुसंधान पूर्ण करने के बाद न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। अपीलार्थीगण ने अभियोजन पक्ष के आरोपों का खंडन किया और अपीलकर्ता के रूप में आत्मरक्षा का अभिवाक् लिया, बाले सिंह डीडब्ल्यू-5 के रूप में पेश होकर परीक्षित हुए और उसने कथन किया कि उनके घर के पास के खेत में उनकी गेहूँ, बाजरा और उड़द की फसले निकाल रहे थे जिसमें आग लगा दी गई और उसके बाद उनके घर पर पत्थर फेंकने लगे। घर से बाहर आते ही भगत सिंह और जगत सिंह ने धनुष से तीर चलाया और बचाव में अपीलकर्ता ने भी तीर चलाया और इस प्रक्रिया में बाथू सिंह तीर से घायल हो गए। अपीलकर्तागण ने अपने बचाव में बचाव पक्ष के पांच गवाहों को परीक्षित कराया। अभियोजन पक्ष ने विचारण के दौरान आठ अभियोजन साक्षी परीक्षित कराये। विचारण न्यायालय ने बालू सिंह, बाथू सिंह, नर सिंह व भाल सिंह के खिलाफ धारा 302/148 आई.पी.सी. के तहत अपराधों का दोषी ठहराया और उन्हें आजीवन कारावास व 1,000/- रुपये का जुर्माना, अदम अदायगी के रूप में एक वर्ष और छह महीने के कठोर कारावास की सजा दी और रिचु, भंगदीबाई और नानबाई को धारा 302 सपठित धारा 149 और 148 के तहत दोषी ठहराया गया और उन्हें एक वर्ष के कठोर कारावास व आजीवन

कारावास भुगतने के दण्ड से दण्डित किया गया। दोनो सजाओं को साथ साथ भुगतने का निर्देश दिया गया।

अपीलार्थी, निर्णय और आदेश दिनांकित 31.08.1995 से असंतुष्ट होकर, विचारण न्यायालय द्वारा उनकी दोषसिद्धि और दिये गये दण्ड के विरुद्ध मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में अपील दायर की गई।

उच्च न्यायालय ने आपराधिक अपील संख्या 697/1995 को आंशिक रूप से स्वीकार किया।

अपीलार्थी संख्या 1 बालू सिंह, अपीलार्थी संख्या 5 रिच्छु, अपीलार्थी संख्या 6 भांगदीबाई और अपीलार्थी संख्या 7 नानबाई को आरोपित अपराध से दोषमुक्त किया और अपीलार्थी बाथू सिंह (अपीलार्थी नं. 1) नर सिंह (अपीलार्थी नं. 2) और भाल सिंह (अपीलार्थी नं. 3) की अपील खारिज कर दी गई।

उक्त निर्णय से व्यथित होने के कारण, अपीलकर्ताओं ने विशेष अनुमति के माध्यम से इन अपीलों को पेश किया। हमने अपीलार्थीगण की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री विद्या धर गौर और प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील सुश्री विभा दत्ता मखीजा को सुना।

अपीलार्थीयों की ओर से पेश विद्वान वकील ने कहा कि यह घटना अचानक हुई और उनके घर पर पथराव किया व खेत में पीसने के लिए उनकी फसलों में आग लगा देने के कारण अपीलार्थीगण द्वारा आत्मरक्षा का

सहारा लिया गया। जब अपीलकर्ताओं ने आत्मरक्षा में कार्यवाही की तो उन्हें अपने व्यक्ति पर चोटे आई इसलिए वे तुरंत पुलिस स्टेशन उनकी सहायता लेने के लिए गये। इस बीच शिकायतकर्ता पक्ष भी पुलिस स्टेशन पहुंचा और अपीलार्थीगण को हिरासत में ले लिया गया और सलाखों के पीछे डाल दिया गया।

उन्होंने आगे दलील दी कि अभियोजन पक्ष द्वारा किया गया अनुसंधान दागी है। क्योंकि पुलिस ने घटना के तीन दिनों के बाद अपीलार्थीगण की गिरफ्तारी दिखाई है और उन्हें घटना के दिन के बाद से अवैध हिरासत में रखा है। पुलिस ने अपीलार्थीगण के अनुरोध के बावजूद घटना के दौरान उनके लगी चोटों के लिए उनका चिकित्सकीय परीक्षण नहीं किया।

यह भी दलील दी गई कि अभियोजन पक्ष ने सभी पक्षपाती और हितबद्ध साक्षी को परीक्षित कराया और स्वतंत्र गवाहों को रोक दिया है। हालांकि वे मौके पर मौजूद थे और घायल हो गए थे। घायल गवाहों को भी न्यायालय में परीक्षित नहीं कराया। अपने तर्कों को समाप्त करते हुए विद्वान वकील ने दलील दी कि न्यायालय में अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षित कराये गये साक्षी विश्वसनीय नहीं हैं और इसलिए उनपर भरोसा नहीं किया जा सकता है। और अभियोजन पक्ष अपने मामले को संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है। इसलिए अपीलार्थी दोषमुक्त होने के हकदार हैं।

इसके विपरीत प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने दलील



दी कि अभिलेख पर साक्ष्य स्पष्ट रूप से स्थापित है कि अपीलार्थीगण ने एक विधिविरुद्ध जमाव का गठन किया। धनिया और भुरू दोनो की हत्या की और दो अन्य व्यक्तियों को भी घायल कर दिया और वे भी घातक हथियारों से लैस थे और घटना के दौरान किसी भी अपीलार्थी को कोई चोट नहीं लगी थी जब अभिलेख पर सामग्री स्पष्ट रूप से यह स्थापित कर रही है कि अपीलार्थी आत्मरक्षा में कार्य नहीं कर रहे थे तो वे दोषमुक्त होने के हकदार नहीं है। हमने सम्पूर्ण अभिलेख का अवलोकन किया व दोनो न्यायालयों के निर्णय का परिशीलन किया।जैसा कि पहले उपबन्धित है, अभियोजन पक्ष द्वारा घटना के चक्षुदर्शी साक्षी के रूप में पीडब्ल्यू-1 सरदार सिंह, पीडब्ल्यू-2 जगत सिंह और पीडब्ल्यू-3 हुमबाई को परीक्षित कराया, उनके अनुसार जब मृतक धनियां कुआं खोदने के लिए खेत पर पहुंचा और उसके बाद मृतक भुरू आम की फसल देख रहा था। बालू सिंह (उच्च न्यायालय में अपीलकर्ता संख्या 1) ने एक लाठी सिर पर मारी परिणामस्वरूप मृतक धनिया जमीन पर गिर जाता है। उसके बाद नर सिंह ने उसके पेट में एक तीर छेदा। बाथू सिंह (उच्च न्यायालय में अपीलकर्ता संख्या 2) ने मृतक भुरू को बींदने के लिए छाती पर तीर मारा और भाल सिंह (उच्च न्यायालय में अपीलकर्ता संख्या 4) ने उसके सिर पर लाठी (डेंगा) मारी, जबकि रिच्छु नानबाई और भांगड़ीबाई ने घटना में पत्थरों का इस्तेमाल किया। इन तीन चश्मदीद गवाहों ने यह भी कहा कि जब उन्होने और अन्य ग्रामीणों ने घटना में हस्तक्षेप करने की कोशिश की, अपीलकर्ताओं ने उन्हें खदेड़ दिया। इसके बाद पीडब्ल्यू-1 और पीडब्ल्यू-2

गांव में आये व गांव के चौकीदार को सूचना दी और इसके बाद मौके पर पहुंचे और धनिया और भुरू को वहां मृत पाया। पीडब्ल्यू-4 डॉ फतेह सिंह ने धनिया व भुरू के शवों का पोस्टमार्टम किया। डॉक्टर के अनुसार धनिया के पेट पर दो घाव और पार्शिका हड्डी के दो फ्रैक्चर और भुरू व्यक्ति पर एक घाव व पश्च अस्थि का अस्थिभंग पाया गया। हमारे अनुसार सदमें और अत्यधिक रक्तस्राव के कारण दोनो मृतको की मृत्यु हो गई। पीडब्ल्यू 4 झिल्लीबाई भी परीक्षित हुई जिन पर भी अभियुक्त व्यक्तियों ने घटना के दौरान हमला किया था। उस व्यक्ति पर दो फेली हुई सूजन उसने पायी। इस प्रकार यह देखा गया कि पीडब्ल्यू-4 डॉ फतेह सिंह का साक्ष्य चश्मदीद गवाहों के बयानों की स्पष्ट रूप से पुष्टि कर रहा है। जहां तक बाथू सिंह (इसमें अपीलार्थी संख्या 1) नर सिंह (अपीलार्थी संख्या 2) और भाल सिंह (अपीलार्थी संख्या 3) की भागीदारी का संबंध है। यह ध्यान देने योग्य है कि डॉ फतेह सिंह ने कुल मिलाकर चार चोटें मृतक धनिया के पायी। अर्थात दो छुरा घोपने के घाव, बाई हड्डी का एक अस्थायी अस्थिभंग और विच्छेदन, उन्होंने अस्थायी और पार्श्विक हड्डी का एक अस्थिभंग देखा।

जहां तक अपीलार्थियों का संबंध है, वहां पीडब्ल्यू-1 सरदार सिंह का कथन व चिकित्सीय साक्ष्य द्वारा विधिवत सम्पुष्ट किये गये अपरिहार्य चक्षुदर्शी साक्ष्य अभिलेख पर है।

अपीलार्थियों की ओर से पेश हुए विद्वान वकील ने प्रतिरक्षा साक्षी के रूप में परीक्षित डीडब्ल्यू-1 (थुमलीबाई), डीडब्ल्यू-2 (सुक्लिया), डीडब्ल्यू-3

(हीरासिंह), डीडब्ल्यू-4 (एस.डी.ओ.पी राजेन्द्र सिंह कुशवाहा) और डीडब्ल्यू-5 (बाल सिंह) के कथनों को हमारे समक्ष रखा। इन डीडब्ल्यू के बयान भी अपीलकर्ताओं बातुसिंह, नर सिंह और भाल सिंह के लिए मददगार नहीं है क्योंकि डीडब्ल्यू-1 ने किसी भी मृतक या अभियोजन पक्ष के गवाह का नाम नहीं लिया है। डीडब्ल्यू-2 जो गांव के चौकीदार है ने गवाहों व मृतक व्यक्तियों के खिलाफ उनकी फसल को आग लगाने के बारे में कोई आरोप नहीं लगाया है।

इसके विपरीत, इस गवाह ने गेहू की फसल को आग लगाने के अपीलार्थियों के मामले का खंडन किया है। इसी तरह डीडब्ल्यू-3 के कथनों में आत्यान्तिक रूप से ऐसा कुछ नहीं है जो बचाव पक्ष का समर्थन कर सकता था। हम डीडब्ल्यू-4 के कथन से कोई अनुमान नहीं निकाल सकते हैं। जो कि अस्पष्ट कथन किया है। और यह कि इस न्यायालय द्वारा कोई अनुमान नहीं निकाला जा सकता कि मृतक और गवाहों ने फसल में आग लगा दी थी। डीडब्ल्यू-5 का कथन भी अपीलार्थियों के मामले में सहायक नहीं है। अपीलार्थीगण ने, हमारी राय में, अधिसम्भाव्य की प्रबलता द्वारा निजी प्रतिरक्षा का उनका अभिवाक् स्थापित नहीं किया है। अभियोजन पक्ष के गवाहों की प्रतिपरीक्षा के साथ साथ धारा 313 सी.आर.पी.सी. के अन्तर्गत उनके कथनों में नींव नहीं रखी और सकारात्मक परिस्थितियों की ओर इशारा करते हुए कानूनी रूप से साबित अभियोजन साक्ष्य से जो कि अधिसम्भाव्य की प्रबलता के द्वारा व्यक्ति व सम्पत्ति की आत्मरक्षा के उनके

मामले को स्थापित किया जा सकता था। अपीलार्थीगण द्वारा उनकी सम्पत्ति या जीवन के लिए कोई आसन्न खतरे के बिना मृत्यु कारित की। इस न्यायालय ने कई मामलों में निर्धारित किया है कि अनिवार्य रूप से एक बचाव या आत्मसंरक्षण का दण्ड संहिता द्वारा निजी बचाव का अधिकार दिया गया है। और यह प्रतिशोध या दण्ड का अधिकार नहीं है। यह धारा 99 में बताये गये प्रतिबंधों के अधीन है जो अपने आप में अधिकार के रूप में बहुत महत्वपूर्ण है। हस्तगत मामले में दोनो मृतकों पर हमला अत्यधिक दुर्भावनापूर्ण रूप से व अत्यंध प्रतिशोधी था। इन परिस्थितियों के अन्तर्गत हमारी राय है कि अपीलार्थीगण निजी बचाव के हकदार नहीं थे और दो व्यक्तियों के अपीलार्थीगण द्वारा उनकी सम्पत्ति या जीवन के लिए कोई आसन्न खतरे के बिना मृत्यु कारित की।

आत्मरक्षा में कार्य करने के बचाव के पक्ष को स्थापित करने के लिए अभिलेख पर कोई साक्ष्य नहीं है। आत्मरक्षा जो कि एक बचाव है जिसे बहुत विलम्ब के प्रक्रम पर उठाया गया था।

पूर्वगामी कारणों से हमारी राय है कि अपीलों में कोई गुणावगुण नहीं है और तदनुसार खारिज की जाती है। अपील खारिज की।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी विनोद कुमार (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।